

Continuation Note Sheet

17-06-2025

पैरोकार राज उपस्थित। वकील श्री सतविन्द्र सिंह चहल द्वारा अप्रार्थीया नीलम फुटेला की ओर से मूल प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. में जवाब पेश किया गया। धारा 177 आर.टी.ए. में वर्णित रकबा को नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक LU2012/SGN/2024-25/101053 दिनांक 06.08.2024 द्वारा संपरिवर्तित किये जाने से मूल प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. खारिज किया जा चुका है। मूल प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. के खारिज होने से इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिनांक 17.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर